18/3/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली रेकार्ड से जमा हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/300

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

हेतराम आदि बनाम मानसिंह आदि

किस्म मुकदमा:– 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या: 116 सन् 2025

GCMS :- 2025/300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/26	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी न. 1 हेतराम के नाम से चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 43/33 के पत्थर नम्बर 138/53 मु.न. 38 के किला नम्बर 9 ता 13, 18/1 ता 22/2 में 2.480 हैक्टेयर खातेदारी भूमि तथा प्रार्थी न. 2 काशीराम के नाम से इसी चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 11/5 के पत्थर नम्बर 138/53 मु.न. 38 के किला नम्बर 5 ता 8, 14 ता 17/2, 24/2, 25/2 में 2.480 हैक्टेयर खातेदारी भूमि तथा प्रार्थी न. 3 राजेन्द्र के नाम से चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 20/14 के पत्थर नम्बर 138/61 मु.न. 37 के किला नम्बर 1/1 ता 25/1 में 6.010 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अप्रार्थी न. 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ में खाता संख्या 29/6 के पत्थर नम्बर 138/51 मु.न. 28 किला नम्बर 9, 12, 19, 22/1 में 0.974 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 138/52 मु.न. 33 किला नम्बर 5/2, 6 में 0.421 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 138/60 मु.न. 34 के किला नम्बर 1, 10 में 0.5060 हैक्टेयर कुल 1.901 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज हैं। अप्रार्थी न. 4 व 5 के नाम से संयुक्त खाता में चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ में खाता संख्या 37/16 के पत्थर नम्बर 138/60 मु.न. 34 के किला नम्बर 11 ता 25/2 में 3.795 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज हैं। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए मन्जूरशुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी न. 1 ता 3 के रकबा चक 3 एस.पी.एम. के पत्थर नम्बर 138/60 मु.न. 34 के किला नम्बर 1, 10 प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर पश्चिम पासा उतर से दक्षिण एवं उसके बाद इसी पत्थर में अप्रार्थी सख्या 4 व 5 के रकबा किला नम्बर 11, 20, 21 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर पश्चिम पासा उतर से दक्षिण में चल रहा रास्ता हैं जिसे प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहता हैं जो कि स्वीकृत नहीं हैं। प्रार्थीगण चाहे जाने वाले रास्ता स्वीकार करने पर नियमानुसार भूमि की डी.एल.सी. दर से रेट अदा करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहेगे। विकल्प के रूप में जो भी आदेश अदालत देगी वह स्वीकार होगा। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 138/60 मु.न. 34 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर पश्चिम पासा उतर से दक्षिण में चल रहे रास्ता की स्वीकृति प्रदान के आदेश फरमाये जावे। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ का जवाब प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जो उनके रकबा में से हैं उसे स्वीकृत किया जाता हैं तो हम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jat Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:19 IST
Reason: Self Attested

19/03/2026

सहमत हैं। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने हितो की सुरक्षा करते हुए प्रकरण निर्णीत करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा बताया गया उसका जुड़ाव कौनसे रास्ता से हैं, यह भी साबित नहीं किया गया। प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे समीपस्थ प्रस्तावित रास्ता हैं, कानून की मंशा के अनुसार सबसे समीपस्थ रास्ता ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। अप्रार्थी सख्या 4 व 5 द्वारा अपने रकबा में से रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत अपनी सहमती दे दी हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के रकबा पर रास्ता डी.एल.सी. की दुगनी दर पर स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता है तथा चक 3 एस.पी.एम. पटवार हल्का गोपालसर तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवंत 2072–2075 के खाता संख्या 29 नया, 6 पुराना के पत्थर नम्बर 138/60 मु.न. 34 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिमी साईड में उतर से दक्षिण) कुल 0.1250 हैक्टेयर कमाण्ड डी.एल.सी. की वर्तमान दर की दुगनी दर पर स्वीकृत कर गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त वर्णित स्वीकृत रास्ता की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा मांग करने पर उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को दी जावे। राशि जमा होने पर उक्त अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करे, चूंकि रास्ता स्वीकृत होने वाली भूमि बैंक रहन हैं परन्तु रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता होने पर मात्र रास्ता में दर्ज होने वाली भूमि पर रहन हटा कर गै0मु0 रास्ता में दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है, शेष भूमि पर रहन यथावत रहेगा व मौका पर अगर रास्ता बंद हो तो उसे खुलवाने की कार्यवाही करें। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19/03/2026 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़